

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
अधिसूचना

सं. 04/2014-सीमा शुल्क (एसजी)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सा.का.नि. (अ)- जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2918 15 20 के अंतर्गत आने वाले सोडियम साइट्रेट के आयात के संदर्भ में महानिदेशक (रक्षोपाय), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 16 सितम्बर, 2014 सा0का0नि0 663 (अ), तारीख 16 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि सोडियम साइट्रेट के संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग के लिए बाजार विद्यटन का खतरा पैदा हो गया था और इसलिए संबद्ध माल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की गई थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त जांच पर विचार करने के पश्चात उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2918 15 20 के अंतर्गत आने वाले सोडियम साइट्रेट पर, जब भारत में आयात पर निम्नलिखित रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करती है,-

(क) यदि कोई आयात 31 दिसम्बर, 2014 से 30 दिसम्बर, 2015 (दोनों दिन सहित) की अवधि के दौरान होता है तब वह 30 प्रतिशत मूल्यानुसार रक्षोपाय शुल्क अदा करेगा;

(ख) यदि कोई आयात 31 दिसम्बर, 2015 से 30 दिसम्बर, 2016 (दोनों दिन सहित) की अवधि के दौरान होता है तब वह 20 प्रतिशत मूल्यानुसार घटाकर प्रतिपाटन शुल्क अदा करेगा ;
और

(ग) यदि कोई आयात 31 दिसम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2017 (दोनों दिन सहित) की अवधि के दौरान होता है तब वह 10 प्रतिशत मूल्यानुसार घटाकर प्रतिपाटन शुल्क अदा करेगा ।

(2) चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचित विकासशील देशों पर सोडियम साइट्रेट के आयात पर यह अधिसूचना प्रभावी नहीं होगी ।

(फा.सं.354/229/2014-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार